



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 3535

बिलासपुर, दिनांक 11.06.2020

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

विषय :-

**Diversion of forest land non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980
Proposed for CONSTRUCTION work of 132 KV DCDS line to provide supply
from 132/33 KV SS kondatarai to M/s NTPC Ltd. area- 9.589 ha.- regarding.
पंजीयन क्रमांक - FP/CG/TRANS/39462/2019**

संदर्भ :-

आपका पत्र क्र./तक./587 दिनांक 19.05.2020

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन लाईन कंपनी लिमिटेड द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत Construction work of 132 KV DCDS line to Provide supply from 132/33 KV SS Kondatarai to M/s NTPC हेतु कुल क्षेत्र 9.589 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव का परीक्षण किया गया है जिसमें निम्नानुसार कमियां पाई गई है -

1. प्रकरण में कलेक्टर का वन अधिकार वितरण संबंधित प्रमाण-पत्र कलेक्टर कार्यालय द्वारा ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।
2. प्रस्ताव में कलेक्टर द्वारा जारी वन अधिकार वितरण संबंधित प्रमाण-पत्र में आवेदित वनक्षेत्र 9.511 हे. का संलग्न किया गया है। आवेदित वनभूमि 9.589 हे. है इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करें।
3. आवेदित वनभूमि की गणना डी.जी.पी.एस. सर्वे के आधार पर जियोमेटिक सेन्टर/वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमण्डल से नहीं कराया गया है।
4. प्रस्ताव में कलेक्टर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में आवेदित वनक्षेत्र 9.511 हे. का संलग्न किया गया है। आवेदित वनभूमि 9.589 हे. है इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करें।
5. प्रस्ताव में अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं किया गया है।
6. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि रु. 726270 की दर से योजना तैयार कर संलग्न किया जावे।

7. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल को वन के मानचित्र में अंकित कर संलग्न नहीं किया गया है।
8. आवेदित क्षेत्र में ऑनलाईन प्रस्ताव में वृक्षों की संख्या 1319 है, वृक्ष विदोहन योजना में वृक्षों की संख्या 1309 वृक्षों की संख्या दर्शाया गया है। एवं वनमण्डलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र-3 के कॉलम नंबर 07 में 1309 एवं वनमण्डलाधिकारी के प्रपत्र भाग-2 में वृक्षों की संख्या 1319 है, विद्यमान वृक्षों की संख्या स्पष्ट करें।
9. लीनीयर प्रस्ताव में 03 विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वनक्षेत्र का विवरण एवं मानचित्र संलग्न नहीं किया गया है।

अतः प्रकरण में उपरोक्त कमियों के पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव अविलंब प्रेषित करें।

संलग्न – प्रस्ताव की प्रति।


मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 12-06-2020

पृ.क्र./तक/ 3536
प्रतिलिपि –

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू-प्रबंध), अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. Executive Engineer, CSPTCL, EHT Construction division Bilaspur, Near Tifra Overbridge Bilaspur (C.G.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर